ACM आमेर जि. जयपुर

फर्द अहकाम

सत्यपाल बनाम गीता

नाम न्यायालय ग्रा.प.

केस संख्या 7/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	16/10/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप., प्रा.पत्र बाजवापसी स्वीकार किया जाकर मूलवाद 96/2022 सत्यपाल बनाम गीता पुनः नम्बर पर लिया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:08:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 7/2024

सत्यपाल बनाम गीता
प्रार्थना पत्र बाजदायरी अंतर्गत आदेश 9 नियम 9
संपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति :–

(1) श्री शिवप्रताप चौधरी – अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
(1) अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है

दिनांक 16.10.2025

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 संपठित धारा 151 सीपीसी पेश हुआ। हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उपरोक्त उनवानी वाद प्रार्थी/वादी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रार्थी / वादी की ओर से अपने अधिवक्ता को पैरवी करने हेतु नियुक्त किया गया, तथा प्रार्थी / वादी की ओर से उसके अधिवक्ता ही माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते रहे है, तथा प्रार्थी/वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को आश्वस्त किया गया था कि जब भी प्रार्थी / वादी की प्रकरण में आवश्यकता होगी तो उन्हें सूचित कर दिया जावेगा, इसलिए प्रार्थी / वादी जरिये अधिवक्ता ही माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे है। प्रार्थी/वादी वृद्ध व्यक्ति है जो कि कई प्रकार की बीमारी से ग्रसित है तथा दिनांक 12.06.2024 को प्रार्थी बीमार होने एवं अपने गॉव से सफर कर पेशी पर हाजिर नही हो सका, ना अधिवक्ता वादी से सम्पर्क कर सका, ना न्यायालय में नही आने बाबत सूचना ही दे सका, प्रकरण वास्ते तलबी शेष प्रतिवादीगण हेतु नियत था परन्तु मगर अदालत ने दिनांक 12.06.2024 के आदेश के जरिये वादी के वाद को असालतन व वकालतन पैरवी नही होने के कारण अदम हाजरी व पैरवी मे खारिज फरमा दिया है। प्रार्थी वादी ने उक्त मुकदमे में टी.आई. के संबंध मे एक निगरानी राजस्व मण्डल में [illegible] सत्यपाल बनाम गीता प्रकरण सं. 2022/7273 प्रस्तुत कर रखी है जिसमें राजस्व मण्डल ने यथास्थिति के आदेश पारित कर रखा था तथा प्रार्थी / वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को आश्वस्त किया गया था कि जब भी प्रार्थी / वादी की प्रकरण में आवश्यकता होगी तो उन्हें सूचित कर दिया जावेगा, परन्तु दिनांक 01.07.2024 को राजस्व मण्डल के अधिवक्ता द्वारा वहां की पेशी पर विपक्षी अधिवक्ता द्वारा मूल वाद के अदम हाजरी व पैरवी मे खारिज होने की सूचना देने पर अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी को सूचित किया कि आपका मूल वाद खारिज हो गया है, जिस पर प्रार्थी / वादी ने अधिवक्ता वादी से सम्पर्क कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:08:37 IST
Reason: SelfAttested

नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रमाणित प्रति हासिल करने पर सर्वप्रथम दिनांक 08.08.2024 को प्रार्थी वादी के मूल वाद के अदम हाजरी व पैरवी मे खारिज होने की जानकारी हुई अतः रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद संख्या 96/2022 सत्यपाल बनाम गीता वगैरह को रेस्टोर करते हुये पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित फरमावे।

विद्वान उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब, दस्तावेजात एवं कानूनी नजीरो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वादी ने उक्त मुकदमे में टी.आई. के संबंध मे एक निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष सत्यपाल बनाम गीता प्रकरण सं. 2022/7273 प्रस्तुत कर रखी थी जिसमे राजस्व मण्डल द्वारा यथास्थिति के आदेश पारित कर रखा था तथा प्रार्थी/वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को आश्वस्त किया गया था कि जब भी प्रार्थी/वादी की प्रकरण में आवश्यकता होगी तो उन्हें सूचित कर दिया जावेगा, परन्तु दिनांक 01.07.2024 को राजस्व मण्डल के अधिवक्ता द्वारा वहां की पेशी पर विपक्षी अधिवक्ता द्वारा मूल वाद के अदम हाजरी व पैरवी मे खारिज होने की सूचना देने पर अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी को सूचित किया कि आपका मूल वाद खारिज हो गया है, जिस पर प्रार्थी/वादी ने अधिवक्ता वादी से सम्पर्क कर नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रमाणित प्रति हासिल करने पर सर्वप्रथम दिनांक 08.08.2024 को प्रार्थी वादी के मूल वाद के अदम हाजरी व पैरवी मे खारिज होने की जानकारी हुई है। वादी की गैर हाजिरी प्रार्थना पत्र मे वर्णित पर्याप्त कारणो से हुई है फलस्वरूप उक्त तथ्यो के मध्यनजर प्रार्थना आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर मूलवाद पत्र संख्या 96/2022 बउनवानी सतपाल बनाम गीता चौधरी को पुनः नम्बर पर लिया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मुल वाद रहै।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:08:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर